ओ.पी. मीणा
आई.ए.एस.
प्रमुख शासन सचिव

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग
सचिवालय, जयपुर-302 005
फोन (का) : 91-141-5116339
फैक्स : 91-141-2227244

अ.शा. पत्र क्रमांकः एफ.13 (1) खा.वि./आवंटन/09-10
जयपुर, दिनांक : 30.04.2010

विषय :- 2/- रूपये प्रति किलों गेहूँ वितरण योजना के शुभारम्भ के संबंध में।

प्रिय

जैसाकि आपको विदित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विधानसभा में की गई घोषणा के अनुसरण में बी.पी.एल तथा राज्य बी.पी.एल परिवारों को मई माह से 2/- रूपयें प्रति किलो की दर से 25 किग्रा. गेहूँ का वितरण किया जावेगा। गेहूँ तथा अन्य राशन सामग्री का वितरण प्रत्येक माह की 15 से 21 तारीख के बीच में प्रत्येक राशन की दुकान पर एक सरकारी कर्मचारी की उपस्थिति में किया जायेगा। इस निर्णय की क्रियान्विति के संबंध में आपको निम्न निर्देश दिये जाते हैं :-

1. दिनांक 10.05.2010 को जिला मुख्यालय पर एक शुभारम्भ कार्यक्रम का आयोजन किया जाना हैं, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री जी भाग लेगे। अतः आप अपने जिले के प्रभारी मंत्री जी से चर्चा कर कार्यक्रम का स्थान व समय तय कर लें। इस कार्यक्रम में कुछ लाभान्वितों को योजना के शुभारम्भ के तौर पर राशन सामग्री का वितरण कर दिया जावे।
2. इस कार्यक्रम में समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच व वार्ड पंच, पंचायत समिति के प्रधान, जिला परिषद के जिला प्रमुख तथा जिला परिषद व पंचायत समितियों के सदस्यों को सम्मिलित होने हेतु अनुरोध किया जावे। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में नगर निगम, परिषदों एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जावे। सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष व सदस्यगणों को प्रेरित कर इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जावें। इसके अतिरिक्त उचित मूल्य दुकान अनुज्ञापत्रधारी ग्राम सेवक, पटवारी तथा उन सरकारी कर्मचारियों को भी इस कार्यक्रम में बुलाया जावे जिनकी उपस्थिति में दुकानों पर राशन सामग्री का वितरण होगा।
3. इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का आमुखीकरण करना तथा 2/- रूपये प्रति किलों गेहूँ वितरण योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना हैं ताकि जब राशन सामग्री का निर्धारित अवधि में वितरण हो तब समस्त पात्र व्यक्तियों को वितरण सही रूप से हो सके।
4. यह निर्णय लिया गया हैं कि प्रत्येक माह की 15 से 21 तारीख के बीच राशन सामग्री का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप किया जाना हैं। अतः समस्त जिला कलक्टर्स से अनुरोध हैं कि उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी आदि राजस्व स्टाफ के सदस्यों तथा पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारी/कर्मचारियों को भी इस कार्यक्रम से जोडा जावे तथा उनके द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में व्यापक भ्रमण एवं मॉनिट्रिंग की जावे ताकि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिये सकारात्मक वातावरण तैयार किया जा सके।

5. खाद्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में आपके द्वारा प्रत्येक दुकान के लिये एक सरकारी कर्मचारी का चयन कर लिया गया होगा, जिसकी उपस्थिति में राशन सामग्री का वितरण किया जायेगा।

6. वर्ष 2002 के ग्रामीण बी.पी.एल सर्वे में पहली बार चयनित बी.पी.एल परिवार तथा स्टेट बी.पी.एल परिवारों को भी बी.पी.एल कार्ड़ तथा स्टेट बी.पी.एल कार्ड जारी किये जाने हैं। इस क्रम में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पृथक से विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। अतः बी.पी.एल तथा स्टेट बी.पी.एल परिवारों को दिनांक 13.05.2010 तक कार्ड वितरण का कार्य अपने जिले में सम्पूर्ण करवा लेवे।

7. दिनांक 15.05.2010 से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम का जिले में विशेषकर दूर–दराज के इलाकों में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें ताकि गरीब परिवारों को राशन सामग्री का वितरण कर लाभान्वित किया जा सके।

सद्भावी,

(ओ.पी.मीणा)

श्री——————————

जिला कलक्टर,

——————————।